

उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा

डॉ. शीतल कपूर

उपभोक्ता आंदोलन एक सामाजिक आंदोलन है जिसमें उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिये निर्माताओं, सेवा प्रदाताओं और सरकार द्वारा किये जाने वाले सभी कार्यकलाप शामिल होते हैं। 'उपभोक्ता संरक्षण' में व्यापारियों और उत्पादकों द्वारा उपभोक्ता विरोधी व्यवहारों के खिलाफ आश्वासन शामिल है। उपभोक्ता-विरोधी व्यवहारों में दोषपूर्ण उत्पाद, सेवाओं में कमी, मिलावटी उत्पाद, गुणवत्ता की कमी, प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाएं, वजन और मापतौल में धोखाधड़ी, अधिक पैसों की वसूली, नकली और डुप्लीकेट उत्पाद, फर्जी वेबसाइट, भ्रामक और अनुचित व्यापार व्यवहार शामिल हो सकते हैं। इस प्रकार ऐसे गलत व्यवहारों पर अंकुश लगाना और उपभोक्ताओं को त्वरित निवारण प्रदान करना उपभोक्ता संरक्षण का एक हिस्सा होता है।

24 दिसंबर एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि पूरे भारत में इसे राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, जिसने उपभोक्ताओं को भारी प्रेरणा दी, भारत के राष्ट्रपति का अनुमोदन मिला और कानून बन गया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने वाला और उन्हें न्यायिक अधिकारों के माध्यम से मुआवजा प्रदान करने वाला एक उदार कानून रहा है जिसे उपभोक्ता अदालत या उपभोक्ता फोरम के रूप में जाना जाता है।

परंतु तीस वर्षों के बाद यह महसूस किया जा रहा था कि बाज़ार व्यवस्था बदल चुकी है और उपभोक्ताओं को आज प्रत्यक्ष बिक्री, ऑनलाइन शॉपिंग और ई-कॉमर्स लेनदेन के मामले में भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान समय में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को निरस्त तथा प्रतिस्थापित करने का समय आ गया है। नये अधिनियम के लिये 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त हो गया।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 में उपभोक्ता शिकायत प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाने के लिये एक तंत्र प्रदान किया गया है। पहले के अधिनियम में भारी विसंगतियों का सामना करना पड़ा, जहाँ उपभोक्ताओं की समस्याएं, ई-कॉमर्स, उत्पाद की जिम्मेदारी, उपभोक्ता अदालतों में 4.3 लाख से अधिक लंबित उपभोक्ता मामले, भ्रामक विज्ञापनों पर त्वरित कार्रवाई की व्यवस्था का अभाव था। चूंकि न्याय में देरी होना एक प्रकार से न्याय से वंचित होना माना जाता है, उपभोक्ताओं को न्याय मिलने में किसी भी देरी से सिस्टम में उनका भरोसा कम हो जाता है।

मध्यस्थता, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, उत्पाद दायित्व, उपभोक्ता आयोगों से जुड़े मध्यस्थता केंद्र, अनुचित अनुबंध, वर्ग कार्रवाई सूट जैसे अभिनव तरीके अब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 का हिस्सा हैं और जैसे ही नया अधिनियम लागू होता है, नई तकनीकें उपभोक्ताओं को शीघ्र निवारण प्रदान करेंगी और निर्णयक साबित होंगी। यह माना जाता है कि नया विधान पुराने अधिनियम में विसंगतियों को दूर करने में सक्षम होगा और एक पथप्रदर्शक होगा।

उपभोक्ताओं को सलाह लेने और उनकी शिकायतों दर्ज करने में मदद करने के लिये उपभोक्ता मामलों के विभाग ने 01.10.2019 को एक उपभोक्ता ऐप लॉन्च किया है। ऐप एंड्रॉइड के साथ-साथ iOS प्लेटफार्म पर हिदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है। उपभोक्ता ऐप के माध्यम से एक उपभोक्ता अपनी शिकायत/समस्या दर्ज कर सकता है और सुशाव भी दे सकता है। अक्टूबर के महीने में, लगभग 3020 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 2000 शिकायतों का समाधान किया गया है। ऐप का उद्देश्य 60 दिनों के भीतर उचित समाधान देना है।


उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की प्रमुख विशेषताएं

1. उपभोक्ता आयोगों की स्थापना: उपभोक्ता विवादों के किफायती, त्वरित और अविलंबित निवारण के लिये प्रत्येक जिला और राज्य में तथा राष्ट्रीय स्तर पर अर्द्ध न्यायिक निकाय स्थापित किये गये हैं, जिन्हें अब क्रमशः जिला आयोग, राज्य आयोग तथा राष्ट्रीय आयोग कहा जायेगा। वर्तमान में शीर्ष पर 600 से अधिक जिला मंच और 35 राज्य आयोगों के साथ राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग हैं। ऐसीडीआरसी का अपना कार्यालय जनपथ भवन, ए.विंग, 5वीं मंजिल, जनपथ, नई दिल्ली में है।

इस प्रकार, नए अधिनियम में त्रिस्तरीय प्रणाली उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की तरह ही जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर है। आसन्न निकायों के अधिकार क्षेत्र में जिला आयोग के मामले 1 करोड़ से बढ़कर 1 करोड़ 10 लाख और राष्ट्रीय आयोग के मामले में 10 करोड़ से ऊपर हो गये। चूंकि राज्य और राष्ट्रीय आयोगों की तुलना में जिला आयोगों की पहुंच बेहतर है, इसलिये सुविधा और पहुंच के मामले में जिला आयोगों की 1 करोड़ रुपये तक की वृद्धि स्वागत योग्य कदम होगा।

2. केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण: यह अधिनियम अमरीका में संघीय व्यापार आयोग के समान एक केंद्रीय नियामक, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना का प्रस्ताव करता है। प्राधिकरण उपभोक्ता अधिकारों, अनुचित व्यापार प्रथाओं, भ्रामक विज्ञापनों और दोषपूर्ण तथा नकली उत्पादों को बेचने के लिये दंड लगाने से संबंधित मामलों को हल करेगा। सीसीपीए के पास एक नियामक के तौर पर विनिर्माताओं, विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं के खिलाफ स्वप्रेरणा से कार्रवाई का अधिकार है। अतः सीसीपीए निम्नलिखित पर कार्रवाई कर सकता है:

- ए) अनुचित व्यापार व्यवहारों की शिकायतें,
- बी) संरक्षा संबंधी दिशा-निर्देश जारी करना,
- सी) आदेशित उत्पाद वापस लिये जाने अथवा सेवाएं समाप्त करना,
- डी) अन्य नियामकों को शिकायतें संदर्भित करना,



घ) कोई अन्य सूचना जिसे विनियम द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सकता है।

प्रत्येक उपभोक्ता मध्यस्थता प्रकोष्ठ जिला आयोग, राज्य आयोग अथवा राष्ट्रीय आयोग को तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिससे वह संबद्ध होगा।

6. अनुचित अनुबंध: इसका आशय निर्माण या व्यापारी या सेवा प्रदाता के मध्य अनुबंध से है और दूसरी तरफ एक उपभोक्ता, जिसमें ऐसे शब्द हैं जो निम्नलिखित सहित ऐसे उपभोक्ता के अधिकारों में महत्वपूर्ण परिवर्तन का कारण बनते हैं।

i) संविधात्मक दायित्वों के प्रदर्शन के लिये उपभोक्ता द्वारा अत्यधिक सुरक्षा

जमा की अपेक्षा प्रकट करना

ii) अनुबंध के उल्लंघन के लिये उपभोक्ता पर कोई जुर्माना लगाना, जो कि इस तरह के उल्लंघन के कारण अनुबंध के अन्य पक्ष से संबद्ध हानि को लेकर होता है।

iii) लागू जुर्माने के भुगतान पर ऋणों की शीघ्र पुनः अदायगी स्वीकार करने से इन्कार करना।

iv) इस तरह के अनुबंध को एकत्रित करने के लिये अनुमति देने या अनुमति देने का प्रभाव, उनकी सहमति के बिना, एक दूसरे के पक्ष के उपभोक्ता को रोकना।

v) उपभोक्ता पर कोई अनुचित आरोप, दायित्व या ऐसी स्थिति, जो उपभोक्ता को हानि पहुंचाती है।

7. शिकायत दर्ज करने में आसानी: उपभोक्ता आयोगों में उपभोक्ता विवाद की प्रक्रिया को आसान बनाने के उद्देश्य से कई प्रावधान जोड़े गए हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं: उपभोक्ता विवाद निवारण की एजेंसियों की विशेष अधिकारिता में वृद्धि, शिकायतों के त्वरित निपटान की सुविधा के लिये उपभोक्ता मंचों में सदस्यों की न्यूनतम संख्या बढ़ाना, राज्य और जिला आयोग द्वारा अपने स्वयं के आदेशों की समीक्षा करने की शक्ति, 'संकेत बैच' का गठन। बैच शिकायतों के त्वरित निपटान की सुविधा के लिये जिला फोरम के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिये प्रक्रिया में सुधार, और 21 दिनों की विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर स्वीकार्य समझ।

अधिनियम अब उपभोक्ताओं को कहीं से भी उपभोक्ता न्यायालयों के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज करने की अनुमति देता है। यह एक बड़ी राहत है क्योंकि पहले उपभोक्ताओं को उस क्षेत्र में शिकायत दर्ज करने की आवश्यकता होती थी जहाँ विक्रेता या सेवा प्रदाता स्थित होता था या जहाँ लेन-देन हुआ था। यह एक स्वागत योग्य बदलाव है, विशेष तौर पर ई-कॉमर्स खरीदारी में वृद्धि के साथ, जहाँ विक्रेता कहीं भी स्थित हो सकता है। इसके अलावा अधिनियम उपभोक्ता को इलेक्ट्रॉनिक रूप से और उपभोक्ता आयोगों में शिकायतों दर्ज करने और वीडियो कॉर्सेसिंग के माध्यम से सुनवाई करने में सक्षम बनाता है जिससे पैसे और समय दोनों की बचत होती है और शारीरिक रूप से अक्षम उपभोक्ताओं को भी बड़ी राहत मिलती है।

8. ई कॉमर्स और डाइरेक्ट सेलिंग दिशा-निर्देश: उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत ई-कॉमर्स दिशा-निर्देश अनिवार्य होंगे जिसमें रिफंड अनुरोध को प्रभावी करने के लिये 14-दिवासीय समय सीमा शामिल होगी। यह ई-टेलर्स को अपनी वेबसाइट पर बस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति करने वाले विक्रेताओं का विवरण प्रदर्शित करने और उपभोक्ता शिकायतों को हल करने के लिये प्रक्रिया अपनाने के लिये बाध्य करेगा। ई-कॉमर्स कंपनियों को यह सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता होगी कि वे ग्राहकों की व्यक्तिगत रूप से अपना योग्य जानकारी सुकृति है। ई-कॉमर्स इकाई और विक्रेता के बीच रिटॉर्ट, रिफंड, विनियम, वारंटी/गारंटी, डिलीवरी/ शिपमेंट, भुगतान की विधि, शिकायत निवारण तंत्र आदि के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिये जानकारी प्रदर्शित करें।

9. पृष्ठांकन के लिये सख्त दंड: नये कानून के तहत यदि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण जांच के बाद संतुष्ट है कि कोई भी विज्ञापन गलत या भ्रामक है और किसी उपभोक